

05.04.17  
06.04.17

अभिलेख उपस्थापित दिनांक 05.04.17 को अवकाश  
दोषित क्षेत्रों के कारण खाली तिथि 25.04.17 को  
निर्धारित की जाती है।

अनु 205A

11.11.17

05.04.17

अभिलेख उपस्थापित उद्योग पक्ष के सदस्य अनुपस्थित हैं  
बाद में द्वितीय पक्ष के चार सदस्य उपस्थित हैं।  
प्रांतीय पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं।  
अभिलेख दिनांक 16.05.17 को रखा।

30.11.16

16.05.17

अनु 205A

अभिलेख उपस्थापित। उद्योग पक्ष के सदस्य अनुपस्थित  
हैं। बाद में द्वितीय पक्ष के अनुपस्थित सदस्यों की  
बाद से प्रतिनिधित्व के आवेदन की गई है।

उक्त वाद में प्रथम पक्ष कमी ग्यागलत्र  
में उपस्थित न थे हुए। वाद की समाप्ति 6 माह  
समाप्त हो चुकी है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की  
जाती है।

16/05/18

16.12.16